प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 16/2022)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने "डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए इमारतों या क्षेत्रों की रेटिंग" पर परामर्श पत्र जारी किया।

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2022- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने **"डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए इमारतों या क्षेत्रों की रेटिंग"** पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।

2. हाल के वर्षों में, डिजिटल कनेक्टिविटी की मांग कई गुना बढ़ गई है। कोविड -19 महामारी ने इस मांग को और बढ़ावा दिया, जहां हर कोई डिजिटल नेटवर्क का उपयोग कर न केवल अपने प्रियजनों से जुड़ा रहना चाहता था, बल्कि खरीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, या घर से काम करने जैसी ऑनलाइन गतिविधियों में अधिक व्यापक रूप से शामिल होना चाहता था। इन मांगों को पूरा करने के लिए भादूविप्रा द्वारा अब तक विभिन्न नीतिगत हस्तक्षेप किए गए हैं।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विस्तृत अध्ययन करके और हितधारकों को उपयुक्त निर्देश जारी करके देश भर में दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। जबकि सड़क पर दूरसंचार सेवाओं के कवरेज में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं, फिर भी इमारतों /आवासीय या वाणिज्यिक क्षेत्रों के भीतर और बाहर उपयोगकर्ताओं की गुणवत्ता की मांगों को पूरा करने में भारी अंतर है। हितधारकों द्वारा समग्र तरीकों से तकनीकी समाधानों को लागू करके इन अंतरालों को पाटने की आवश्यकता है, जिसमें अंतिम उपयोगकर्ता अपने परिसरों, परिसरों या क्षेत्रों के भीतर आवश्यक सेवाओं की गुणवत्ता पर निर्णय कर पायें ।

3. "डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग" पर परामर्श पत्र (सीपी), इमारतों और क्षेत्रों के भीतर डिजिटल कनेक्टिविटी की भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए, कनेक्टिविटी के डिजाइन, कार्यान्वयन, संचालन, रखरखाव, उन्नयन के माध्यम से विस्तार में, एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए एक रोडमैप का सुझाव देता है। यह पत्र भवन / संस्था या क्षेत्र के भीतर डिजिटल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे के सह-डिजाइन और सह-निर्माण में प्रारंभिक चरण में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अंतिम उपयोगकर्ताओं की भागीदारी सहित सभी प्रासंगिक

हितधारकों के बीच सहयोगी साझेदारी के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह परामर्श पत्र किसी क्षेत्र/इमारत में दूरसंचार अवसंरचना के विकास के लिए विभिन्न कानूनों और दिशानिर्देशों के प्रावधानों का विवरण भी प्रदान करता है और कानूनी समर्थन के साथ किसी इमारत और/या किसी क्षेत्र के विकास को पूरा करने के लिए एक आवश्यक घटक के रूप में डिजिटल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे को शामिल करने के उपायों का सुझाव देता है।

5. यह परामर्श पत्र भवनों या क्षेत्रों में, वैज्ञानिक तरीके से मूल्यांकन किए गए Quality of Experience के आधार पर, उपयोगकर्ताओं को उनके भवनों या परिसरों में प्रदान की गई डिजिटल कनेक्टिविटी के अनुभवों के आधार पर, और क्षेत्र माप के संयोजन को शामिल करते हुए, अंक या सितारों के रूप में डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर का मूल्यांकन और रेटिंग शुरू करने का प्रस्ताव रखता है।

6. परामर्श पत्र, गुणवत्ता मानकों के मापन के लिए विभिन्न पद्धतियों का वर्णन करता है जिसमें "डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए इमारतों या क्षेत्रों की रेटिंग" के लिए खपत प्रालेख और भवन प्रालेख शामिल है।

7. "डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए इमारतों या क्षेत्रों की रेटिंग" पर परामर्श पत्र को भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें हितधारकों और दूरसंचार उपभोक्ताओं से उनकी राय मांगी गयी हैं। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर 04 मई 2022 तक हितधारकों से लिखित टिप्पणियां और 18 मई 2022 तक प्रति-टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं।

8. टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में, श्री असित कादयान, सलाहकार (क्यूओएस) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को ईमेल: advqos@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए, श्री असित कादयान, सलाहकार (क्यूओएस) से दूरभाष क्रमांक: +91-11-2323-0404, फैक्स: +91-11-2321-3036 पर संपर्क किया जा सकता है।

RAGHUNANDAN VARTHAKAVI

(वी. रघुनंदन)
सचिव